

FROM :

FORM NO. :

Mar. 01 2006 04:53PM P1
Directorate of School Education, Haryana

प्रेषक

आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी, रिवाडी
कमॉक 23/315-03 पी0एस0 (2)
दिनांक 27-2-2006

विषय:-

अनुमति प्राप्त विद्यालय का नाम बदलने बारे ।

के सन्दर्भ में ।

उपरोक्त विषय पर आपके यादी कमॉक जी-3-2005/1932 दिनांक 1-2-2006
विषांकित मामले में सूचित किया जाता है कि यद्युवन्श कान्वै-ट स्कूल रिवाडी का
नाम उनके अनुरोध अनुसार सनगलो इन्टरनेशनल स्कूल रिवाडी करने अनुमति प्रदान की जाती है
विद्यालय की पूर्व दी गई अनुमति की शर्तें यथावत रहेंगी ।

27/2/2006

अधीक्षक पी0एस0,

कृते: आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

